COURT FEE INDIA भारत पन्द्रह रुपये FIFTEEN RUPEES 15

GF-B15/-2

32

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल म॰प्र॰ ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :   / 2000-2001/ निगरानी

R. 729-प्र/2001

श्री हरीराम सिंह कंसाना अभि॰ द्वारा आज दि॰ 23/4/2001 को प्रस्तुत।
अवर सचिव राजस्व मण्डल म॰ प्र॰ ग्वालियर
23 APR 2001

पेरन सिंह पुत्र मोतीराम निवासी ग्राम लहचूरा परगना गोहद जिला भिण्ड म॰प्र॰।

.......प्रार्थी

बनाम

सीताराम पुत्र भीलाराम निवासी ग्राम लहचूरा परगना गोहद जिला भिण्ड म॰प्र॰।

......प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म॰प्र॰ भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 25॰01॰2001 जरिये द्वारा अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना म॰प्र॰ प्र॰क्र॰ 301/99-2000 निगरानी।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि आदेश विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2. यहकि प्रार्थी सचरित्र व्यक्ति है और उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण किसी भी थाना तथा न्यायालय में दर्ज नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों का यह मत कि प्रार्थी का चरित्र सही नहीं है गलत हैं।

3. यहकि, अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने सम्पूर्ण जांच करने के बाद प्रार्थी को पटेल पद पर नियुक्त किया है तथा प्रतिप्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया हैं। अनुविभागीय अधिकारी दिनांक ... 10.95, 24.7.96, 14.8.96, एवं 21.8.96 अ

23/4/2001

BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

ण कमांक 729-चार-2001 निगरानी जिला भिण्ड

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर

6-7-16. प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल सॅभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 30/99-2000 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 25-1-2001 के म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि तहसील गोहद के ग्राम लहचूरा के पटैल का पद रिक्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने आदेश दिनांक 30-7-92 से फेरन सिंह को अस्थाई पटैल पर नियुक्त किया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 197/91-92 में पारित आदेश दिनांक 18-12-92 से अनुविभागीय अधिकारी गोहद की ओर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि पटैल पद पर आवेदक एंव अनावेदक दोनों के प्रार्थना पत्रों पर विचार कर पुर्ननिर्णय लिया जाय। अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने जॉच कराकर पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 21-8-98 से फेरन सिंह को पटैल पद पर नियुक्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व सीताराम पुत्र भोलाराम ने कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 17/97-98 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 29-11-99 से स्वीकार की जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी गोहद को अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 18-12-92 के पद 11 में दिये गये निर्देशों के प्रकाश में पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित

किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 30/99–2000 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 25–1–2001 से कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 29–11–99 को यथावत् रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि जब कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनांक 29–11–99 से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी गोहद को अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 18–12–92 के पद 11 में दिये गये निर्देशों के प्रकाश में पुनः जॉच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है तब आवेदक जो तथ्य इस न्यायालय में बताकर पटैल पर पर नियुक्ति चाहता है – उसे एंव अनावेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अमान्य की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल सँभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 30/99–2000 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 25–1–2001 उचित पाये जान` से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य